UGC APPROVED JOURNAL - 47746
© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS | Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 04 , Issue : 04 | January – March 2018

आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अध्ययन

[1]**Imra Khanam,** Research Scholar,
[2]**Dr. Rajeev Singh Kanaujia,** Associate Professor,
Department of Political Science, P.N.G. Govt. PG College,
Kumaun University, Nainital

सार

'आरक्षण' का अर्थ है कोई वस्तु, स्थान या सुख–सुविधा किसी विशेष व्यक्ति, वर्ग या समूह के लिए सुनिश्चित कर देना। भारत के संविधान में इसका अर्थ है–अपने या अन्य के लिए कोई स्थान सुरक्षित करना या कराना । जो लोग सदियों से दलित, पीड़ित या उपेक्षित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उनके लिए स्थान सुरक्षित रखकर उन्हें प्रगतिके पथ पर अग्रसर करना। परन्तु आज नेता लोग अपने स्वार्थ के लिए पिछड़े व दलितों के नाम पर खेल खेलकर सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं।

प्रस्तावना

ऐसा माना जाता है कि दुनिया में किसी भी समाज, व्यवस्था और धर्म का निर्माण किसी भी ईश्वर, अल्लाह या गॉड ने नहीं किया है बल्कि यह व्यवस्था स्वयं मानव के द्वारा निर्मित की गई है। अतः स्पष्ट है कि न केवल जाति व्यवस्था वरना दुनिया की सभी व्यवस्थाओं को मनुष्य ने बनाया है ना कि ईश्वर ने। भारत में जाति की उत्पत्ति आर्यों के आगमन के बाद हुई। प्रत्येक कार्य और व्यवस्था के पीछे एक कारण और सम्बन्ध होता है। ऐसा ही सम्बन्ध जाति ओर उसकी व्यवस्था के पीछे भी है। जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक संरचना की एक अनुपम एवं बहुत चर्चित विषेता है जो कि हिन्दु धर्म द्वारा पूर्णतः अनुमोदित है और भारत में जाति सार्वभौम है। यह व्यवहार में अत्यधिक हिन्दु है परन्तु यह केवल मात्र ऐसी ही नही है। यह व्यवस्था मैगस्थनीज के समय से लेकर आज तक किसी भी विदेशी का ध्यान आकर्षित करने से नही चूक सकी है। आर्यों के पूर्व काल में भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। ब्राहम्ण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण ही आयों के आने के पश्चात अनेक जातियों में परिवर्तित हो गये। आज भारत वर्ष में लगभग तीन हजार जातियां व उपजातियां है। जाति व्यवस्था यद्यपि भारतीय समाज की एक अनुपम विशेषता है। जाति व्यवस्था,एक ओर, हिन्दू सामाजिक संरचना के प्रकार को प्रकट करती है, तो दूसरी ओर हिन्दुओं के आचरण को भी निश्चित करती है।

UGC APPROVED JOURNAL - 47746
© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS | Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 04 , Issue : 04 | January – March 2018

वर्तमान हिन्दू समाज की जो रूपरेखा या तस्वीर दिखाई पड़ती है, इसके निर्माण में मुख्यतः मनुस्मृति का महान योगदान है। आरक्षण व्यवस्था की आधार–शिला इस देश के हिन्दू समाज में मनु–स्मृति ग्रंथ के द्वारा रखी गई। आरक्षण व्यवस्था के प्रथम प्रवर्तक आचार्य मनु हैं। आचार्य मनु ने चातुवर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन करते हुए ब्राह्मणों को सर्वेसर्वा मानकर उनके लिये समाज में सर्वोच्च स्थान आरक्षित कर दिया। सारी मानव जाति में उन्हें शिरोमणि माना है। संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रतिपादित समता के सिद्धांत विधि के समक्ष सभी समान होंगे और सभी को विधि का समान आरक्षण उपलब्ध होगा के सर्वथा विपरीत है। मनु द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत चूंकि द्विज जातियों के अनुकूल एवं लाभकारी था, इस कारण इसका पालन कड़ाई से करवाने के प्रयास किए गए॥ जाति प्रथा ने हिन्दू समाज को ऐसी अनेक पृथक–पृथक जातियों में विभक्त कर दिया जिनके यहां शादी, विवाह खान–पान अपनी ही जाति में होता है और जो सामान्यतः परम्परागत व्यवसाय अपनाती है। जन्म से उनकी जाति निर्धारित होती है और प्रत्येक जाति का अपनी जाति परम्परा में एक निश्चित स्थान होता है। मनु द्वारा प्रतिपादित आरक्षण अथवा सामाजिक संगठन की उक्त योजना जो 3000 तीन हजार वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है, विभिन्न जातियों की उत्पत्ति एवं चतुर्मुखी विकास में गहरा प्रभाव डाला है। उदाहरण के तौर पर उच्च ज्ञान के एक मान रक्षक के रूप में ब्राह्मणों ने बौद्धिक व्यवसायों के लिए विशेष जन्मजात प्रवृत्ति सहित एक अत्यत संस्कार निष्ठ समुदाय के रूप में विकास किया। इसके विपरीत शूद्र सभी प्रकार के सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित व्यक्ति बने रहे और उन्होंने एक गंवा व्यक्तित्व एवं अनाकर्षक विशेषताओं को अपना लिया। रजनी कोठारी की पुस्तक ष्भारतीय राजनीति में जातिष् से लिए गए निम्नलिखित उदाहरण से पता चलेगा कि उच्च जातियों के साथ प्रतियोगिता में निम्न जातियां केसे उतरती थी जबकि उनकी कहीं बड़ी–बड़ी कमियों को दूर कर दिया गया था। चूंकि ब्राह्मण उच्च शिक्षा संस्थानों, व्यवसायों और नौकरियों में प्रवेश कर चुके थे, इसलिएं सभी स्थानों पर उन्होंने अपने गुट बना लिए जिनमें से गैर ब्राह्मण को बाहर रखा गया। 1892 और 1904 के बीच भारतीय विभिन्न सेवाओं में सफलता प्राप्त करने वाले 16 उम्मीदवारों में से 15 ब्राह्मण थे। 1914 में 128 स्थायी जिले मुंसिफों में से 93 ब्राह्मण थे, 1944 में विश्वविद्यालय के 650 पंजीकृत स्थानों में से 452 ब्राह्मण थे।

सन 1928 में बंबई सरकार ने पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए व उनके लिए विशेष प्रावधानों की सिफारिश करने के लिए नि. ओ. एच.वी. स्टोर को अध्यक्षता में एक समिति गठित किया था। उसने 1930 में रिपोर्ट पेश

UGC APPROVED JOURNAL - 47746
© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS | Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 04 , Issue : 04 | January – March 2018

करके दलित वर्ग ष्आदिवासी तथा पर्ववीय जनजातीष एवं अन्य पिछड़े वर्गों में वर्गीकृत किया। इस समिति ने तीन वर्गों को शासकीय सेवाओं में आरक्षण देने की सिफारिश थी। उत्तर भारत में पिछड़े वर्गों का कोई भी संगठन न होने से आरक्षण के संबंध में कोई मांग नहीं की गई इस कारण उत्तर भारत की देशी रियासतों व ब्रिटिश सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की है।

अखिल भारतीय स्तर पर दलित वर्ग के कल्याण के लिए पृथक व्यवस्था का प्रयास 1919 के मान्टेग्यू चेम्स फोर्ड रीफाम्स द्वारा किया गया और इन वर्गों को अनेक सरकारी निकायों में प्रथम बार प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। पिछड़ा वर्ग शब्द का उद्गम पिछड़ा वर्ग शब्द का उदृगम 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ है। दीर्घकाल तक दलित वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग समानार्थी शब्द माने जाते रहे हैं। दलित वर्ग से केवल अस्पृश्य जातियों का अर्थ लगाया जाता था। कभी–कभी अपराधी घुमक्कड़ जनजातियां भी अछूतों के अतिरिक्त दलित वर्ग में शामिल मानी जाती थी। पिछड़े वर्ग समूहों के लिए बाध्य जातियों के शब्द का भी उपयोग किया गया। सन् 1916 में भारत की विधान परिषद में दलित वर्ग की परिभाषा पर चर्चा हुई थी। अपराधिक एवं घुमक्कड़ जनजातियां मूल जनजातियों तथा अछूत वर्गों को दलित वर्ग में शामिल करने का निर्णय लिया गया था। सर हेनरी शार्म ने गंदा व्यवसाय अछूत का साथ अथवा अछूत जातियां जिनका छुआ व जिनकी छाया से ही व्यक्ति अपवित्र हो जाता है और शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक पिछड़े हैं उनको दलित वर्ग में शामिल करने का सुझाव दिया था। कुछ मुस्लिम वर्ग को भी इसमें शामिल करने का उनका सुझाव था।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति– ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

विश्व राजनीति के इतिहास में शायद ही किसी एक वर्ग, जाति और समुदाय के नाम में इतने परिवर्तन हुए हों, जितने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के नाम के हुए है। 20वीं शताब्दी के दवितीय दशक में पहली बार महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अलग–अलग दिशाओं में दलितों की समस्याओं के समाधान के लिए यथार्थवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से न केवल अध्ययन किया बल्कि दोनों ने इन जातियों के उत्थान के लिए आन्दोलन भी चलाए। सवर्ण सुधारकों में गांधी जी (1869–1948) ही ऐसे प्रथम व्यक्ति हुए जिन्होंने अस्पृश्यता की भावना को सवर्णों के ह्रदय में पाया। यही कारण था कि ये इस समस्या के लिए सवर्ण हिन्दुओं को दोष देते थे और इसके निवारण के लिए सवर्ण हिन्दुओं के इष्टिकोण में परिवर्तन लाना चाहते थे। इसी वजह से गांधी जी इस समस्या का समाधान हिन्दू धर्म व जाति के ढांचे में करने के पक्ष में थे। क्योंकि वे यह मानते

थे कि जिस प्रकार दलितों के लिए भौतिक उत्थान आवश्यक है, उसी प्रकार सवर्ण एवं सम्पन्न वर्ग के लिए आध्यात्मिक उत्थान आवश्यक है।

वर्तमान 'आरक्षण नीति' का विरोध–

सर्वप्रथम समय पाकर तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री। वी।पी। सिंह ने कुर्सी पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए 'मंडल आयोग' को लागू करने का प्रयत्न किया। परिणामस्वरूप इसके विरोध में जो मारी–मारी, तोड़–फोड़, आगजनी, आत्महत्याएँ आदि हुई वे भुलाई नहीं जा सकती। इन आन्दोलनों में बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा मध्य प्रदेश आदि राज्य विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। विरोधी पक्ष आरक्षण के विरोध में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं–

1. जातिगत आधार पर आरक्षण होने से अयोग्य व्यक्ति भी ऊँचे पदों पर आसीन हो जाते हैं, जिससे कार्यप्रणाली अयोग्य हाथों में चली जाती है तथा प्रशसनिक सेवाओं का स्तर गिर जाता है।

2. जातिगत आरक्षण में केवल कुछ चतुर व्यक्ति ही लाभान्वित हो पाते हैं, शेष तो वंचित ही रह जाते हैं। इस प्रकार के आरक्षण से कर्महीनता आती बन जाते हैं। है, जन्म का महत्त्व स्थापित होता है तथा इस प्रकार जातिप्रथा कभी भी समाप्त नहीं हो पाएगी।

3. जातिगत आरक्षण से सवर्ण जातियों के अधिक योग्य युवक भी नौकरी से वंचित रह जाते हैं जिससे उनमें कुंठा पैदा होती है तथा कुंठित नवयुवक समाज–विरोधी गतिविधियों जैसे हिंसा, बलात्कार, लूटपाट, हत्या आदि के हिस्से बन जाते हैं।

4. आरक्षण के कारण आरक्षितों में अहंकार बढ़ा है जो सामाजिक व मानसिक अपंगता का परिचायक है।

5. पिछड़ापन कभी जातिगत नहीं होता, वह तो व्यक्तिगत एवं पारिवारिक होता है, जो सवर्ण व निम्न सभी जातियों में मिल जाता है अतः आरक्षण का आधार 'जाति' नहीं अपितु 'आर्थिक' होना अधिक न्यायसंगत है।

स्वतन्त्रता के पश्चात् आरक्षण–

अगस्त 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् 'पूना एक्ट' को संविधान में सवैधानिक गारंटी देने की बात उठी। तत्पश्चात् आरक्षण के निर्धारण सम्बन्धी काका कालेलकर आयोग 29 जून, 1953 को गठित किया गया। जिसने अपना प्रतिवेदन 30 मार्च, 1955 को प्रस्तुत किया, किन्तु तत्कालीन सरकार ने न तो उसे संसद में प्रस्तुत किया तथा न ही कोई प्रभावी कार्यवाही ही की। 1978 में वी।पी। मण्डल की अध्यक्षता में दूसरा आयोग गठित किया

गया जिसने 31 दिसम्बर 1980 को राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन दे दिया, किन्तु उसकी भी कालेलकर आयोग के प्रतिवेदन जैसी ही दुर्दशा हुई। अलग–अलग समुदाय को अब तक कितना आरक्षण मिला है इस सम्बन्ध में निष्पक्ष विवरण प्रकाशित ही नहीं किया जाता है। नौवे आम चुनाव को दृष्टि में रखकर 12 मई, 1989 को घोषणा की गई कि तीन महीनों में रिक्त पदों पर केवल आरक्षित श्रेणियों के प्रत्याशी ही लेकर विगत चालीस वर्षों की कमी पूरी की जाएगी। इस अभियान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, सभी दलों की राज्य सरकारों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में देश भर में आरक्षित श्रेणी के हजारों व्यक्तियों को नौकरी दी गई। फलस्वरूप देश में रहने वाली अन्य जातियों को अपना भविष्य अन्धकारमय लगने लगा तथा आरक्षण का विरोध होने लगा।

समाज में व्यक्ति किस कारण सशक्त बनता है? व्यक्ति को सशक्त करने वाले कारण इस प्रकार हैं–

- व्यक्ति की जन्मजातिरू व्यक्ति का जन्म अगर उच्च जाति में होता है तो जन्म के कारण ही वह सशक्त बनता है। समाज में उसे मान सम्मान प्राप्त होता है।

- धर्मसत्ता धर्मसत्ता समाज में बहुत शक्तिशाली होती है। पुरोहित वर्ग धर्मसत्ता का अंग है। उसे मान–सम्मान, धन आदि प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। मठाधिपति, साधु–संत, प्रवचनकार जनता के आदर और स्नेह के पात्र होते हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की प्राचीन काल में स्थिति

प्राचीनकाल में भारत में वर्ण व्यवस्था लागू थी। ब्राह्मण ऋषियों तथा मनीषियों ने समाज को चार वर्गों में विभाजित किया जिसे चतवर्ण व्यवस्था कहा जाता था। इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ग को सर्वोपरी रखकर उसे स्थायित्व प्रदान करने के लिए सभी वेदों, ग्रन्थों, उपनिषदों, पुराणों तथा स्मृतियों में ऐसे कल्रात्मक ढंग से समाहित करके धार्मिक रूप दिया कि शेष तीनों वर्ण – क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र उसे ईश्वर की कृति मानकर उस वर्ण व्यवस्था द्वारा निर्धारित कर्मों का स्वतः पालन करें। वर्ण व्यवस्था में ब्राहमण को सर्वोपरि उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य तथा सबसे नीचे पायदान पर शूद्र को रखा गया। यह वर्ण व्यवस्था कर्म नहीं वरन जन्म पर आधारित थी और आज भी उसी रूप में मानी जाती है।

वर्ण व्यवस्था के फलस्वरूप भारत में जाति व्यवस्था का उदय हुआ। समय के साथ–साथ जातियां और उप–जातियों की संख्या बढती गई और इन जातियों की संख्या हजारों में है। जो अपने–अपने क्षेत्र में ही खानपान तथा विवाह संस्कार आदि करती है। वे एक ही जाति मानी जाती है तथा ऐसी एक जाति दूसरी जाति से विवाह आदि संबंध

करें तो उसे धर्म विरूद्ध माना जाता है। वर्ण व्यवस्था शुरू से ही जातियाँ–उपजातियों,अस्पृश्यता और साम्प्रदायिकता की जननी मानी जाती रही है। चतुर्वर्ण व्यवस्था पर आधारित हिन्दू समाज अपरिवर्तनशील समाज है। भारत में शासक वर्ग वास्तव में ब्राह्मण वर्ग है। उसने अपने बौद्धिक बल से न केवल राजनीतिक शक्ति ही नहीं प्राप्त की वरन् राज्य पर अपना प्रभुत्व बनाये रखा। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान पर किसी का एकाधिकार नहीं होता परन्तु ब्राहमणों ने विद्या और ज्ञान पर अपना एकाधिकार जमा लिया। श्मनु स्मृति" को कानून के अनुसार पुरोहित, न्यायाधीश और यहां तक कि मंत्रीगण के पद तक ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित थे। यहां तक कि सेनापति के पद पर ब्राहमण की संस्तुति की जाती थी। चतुर्वर्ण व्यवस्था से जनित जातिवाद, अलगाववाद और साम्प्रदायिकता के कारण ही देश को बंटवारे की आग में से गुजरना पड़ा।

आरक्षण का सामाजिक जीवन में महत्व

समता के विषय में इसाप की एक सुंदर कथा है। एक बार जंगल में शेर, सियार, भेड़िया और जंगली गधा इन चारों ने मिलकर सामूहिक शिकार करने का निर्णय लिया। शिकार के लिए वो चले गए। चारों ने मिलकर एक जंगली भैंसे की शिकार की। शिकार करने के बाद भक्ष्य को चार समान हिस्सों में बांटा जाएगा ऐसा पहले से ही तय था। शेर ने गधे को कहा, "इस शिकार को हम चारों में बांट दो।" गधे ने शिकार को चार समान हिस्सों में बांट दिया। शेर के सामने शेर का हिस्सा रखा गया। इतना छोटा सा हिस्सा देखकर शेर को क्रोध आया और वह बोला, "अबे गधे, तू तो गधे का गधा ठहरा। समानता इस प्रकार की होती है क्या?" ऐसा कहकर उसने गधे के गर्दन पर जोर से तमाचा मारा। शेर के तीक्ष्ण नाखून गधे के गले में घुसने के कारण वो मर गया। फिर शेर ने सियार को कहा, "अब तू इस शिकार का समान बंटवारा कर।" सियार ने चारों हिस्सों को इकट्ठा किया। उसमें से आधे से अधिक शेर को दिया और जो बचा था उसका भी आधे से अधिक हिस्सा भेड़िये को दिया और छोटा सा हिस्सा अपने पास रखा। बंटवारे का यह तरीका देखकर शेर प्रसन्न हुआ।

उपसंहार

भारत के संविधान से संबंधित पिछले आलेख में लोकतांत्रिक व्यवस्था को समृद्ध करने हेतु निर्वाचन के संबंध में संविधान में किए गए प्रावधानों पर चर्चा की गई थी, इस आलेख के अंतर्गत कुछ विशेष समुदायों को दिए गए आरक्षण पर चर्चा की जा रही है। जब भारत स्वतंत्र हुआ भारत के समाज की आर्थिक व सामाजिक स्थितियां अत्यंत अस्त व्यस्त थी। भारतीय समाज जातिगत व्यवस्था से एक लंबे युग से त्रस्त रहा है। किसी भी समाज के

© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS | Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 04 , Issue : 04 | January – March 2018

किसी भी देश की उन्नति के लिए आवश्यक है कि उस समाज देश का हर वर्ग समान रूप से आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत एक ही पंक्ति में खड़ा हो। जब किसी देश किसी समाज में उसके नागरिक एक ही पंक्ति में खड़े होते हैं उनकी सामाजिक आर्थिक हैसियत एक जैसी होती है तब ही देश और समाज की उन्नति संभव है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. जे. एन. पाण्डेय – भारतीय संविधान (सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, 1991) पृष्ठ संख्या 495 सरकार, तृतीय संस्करण, 1998, पृष्ठ संख्या 92

2. दुर्गादास बासु – भारतीय संविधान का परिचय, (प्रिन्टिंग हॉल ऑफ इण्डिया, 1996) पृष्ठ संख्या !8..

3. मो. क. गांधी – सम्पूर्ण वाइमय खण्ड 19 – 1966, पृष्ठ संख्या 554

4. एम.एन.श्रीनिवास – इण्डियारू सोसल स्ट्रक्चर (दिल्लीरू हिन्दुस्तान पब्लिसिंग कॉर्पोरेशन, 1982), ४ मो. क. गांधी – सम्पूर्ण वाइमय खण्ड 56 – 1974, पृष्ठ संख्या 254

5. धननन्जय कीर – डॉ. अम्बेडकररू लाईफ एण्ड मिशन (बम्बई पॉपुलर प्रकाशन, 1990) पृष्ठ संख्या 104

6. डॉ. महेश्वर दत्त – गांधी, अम्बेडकर और दलित (राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली), 2005, पृष्ठ संख्या

7. मो. क. गांधी, सत्य के प्रयोग अथवा आत्म कथा, अहमदाबाद नवजीवन प्रकाशन मंदिर, 1983, पृष्ठ सख्या 102

8. विजय कुमार पुजारी, अम्बेडकर – जीवन और दर्शन, नई दिल्लीरू भारतीय बौद्ध महासभा, 1988,

9. रूपचन्द्र वर्मा, मानक हिन्दी कोष (प्रयागरू साहित्य सम्मेलन)